भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1876
दिनांक 09.03.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार

1876 श्रीमती सागरिका घोषः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि दुर्लभ-पृथ्वी तत्वों के लिए चीन पर भारत की अत्यधिक निर्भरता एक गंभीर रणनीतिक कमजोरी दर्शाती है, जो चीन के हालिया निर्यात प्रतिबंधों से और बढ़ गई है;
(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (एनसीएमएस) का ब्यौरा क्या है, जिसमें नियोजित दो माह के भंडार की पर्याप्तता तथा इसके चालू होने की समय-सीमा शामिल है;
(ग) चीन से परे भारत की दुर्लभ पृथ्वी तत्व की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही शुरू से आखिर तक घरेलू खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण अवसंरचना को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
(घ) एनसीएमएस और संबद्ध पहलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से वस्तुकरण (कमोडिफिकेशन) या आपूर्ति एकाधिकार उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (घ) वर्तमान में, दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के प्रसंस्करण पर एक देश का प्रभुत्व है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आरईई सहित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और इनकी आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे स्थापित करने के लिए सहायता को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदित किया है। एनसीएमएम की रूपरेखा के भाग के रूप में, यह मिशन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) या निजी कंपनियों के साथ एक संयुक्त पहल प्रदान करता है ताकि आपूर्ति व्यवधानों से बचने और घरेलू उपयोग के लिए खनिज आपूर्ति में सहायता करने हेतु महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के भंडारण के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार कार्यक्रम विकसित किया जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

भारत की दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और एंड-टू-एंड घरेलू खनन, प्रसंस्करण और अवसंरचना विनिर्माण को विकसित करने के लिए की जा रही विशिष्ट कार्रवाई में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने देश में घरेलू महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए आरईई सहित महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण की गति को तेज किया है। जीएसआई ने वर्ष 2024-25 में, आरईई पर 78 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू कीं और वर्ष 2025-26 के दौरान, जीएसआई ने पूरे देश में विशेष रूप से आरईई के लिए 92 परियोजनाएं शुरू की हैं।
- खान मंत्रालय ने दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के 7 ब्लॉकों सहित 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दो आरईई ब्लॉकों सहित गवेषण अनुज्ञप्ति के 7 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है।
- सरकार ने एनसीएमएम के तहत नौ प्रमुख संस्थानों को महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनसीएमएम के तहत, महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और दिनांक 02.10.2025 को इस स्कीम का शुभारंभ किया गया।
- ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों (आरईई सहित) की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिनांक 14.11.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- सरकार ने बजट 2024-25 के दौरान 25 खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है और दो खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया है। बजट 2025-26 के दौरान, भारत सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्क्रैप को मूल सीमा शुल्क से छूट दी थी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का उल्लेख किया है।
- खान मंत्रालय के तत्वावधान में विदेशों में लिथियम, कोबाल्ट, आरईई आदि जैसी खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने हेतु एक संयुक्त उद्यम खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) का गठन किया गया है।
